न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 07.10.2019

पत्र संख्या :–163 / 2019

CIS NO:- 2019/00483

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. द्वारिका पत्नि लादूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. प्रकाश पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. कृष्णा पुत्री प्रकाश जर्येवली संरक्षक पिता प्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. पंकज पुत्र प्रकाश जर्येवली संरक्षक पिता प्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रमेश पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. अयोध्या पुत्री जगन्नाथ पत्नि मदन जाति धाकड निवासी ग्राम अल्लापुरा तहसील उनियारा जिला टोंक।
3. गीता पुत्री जगन्नाथ पत्नि कन्हैयालालजाति धाकड निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामराय पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. कमलेश पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. दिलबर पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा संख्या 694 / 01–03, 710 / 03–11 व 695 / 01–02 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 3 के खातेदारी की खसरा संख्या 693 व प्रत्यार्थीगण 4 लगायत 5 के खातेदारी की खसरा संख्या 692 कृषि भूमि स्थित है। यह कि खसरा संख्या 710 में दर्ज खातेदार संतरा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस प्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 है। यह कि खसरा संख्या 694, 695 व 710 में आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम समीधी से रोहित जाने वाले रास्ते से पटकर भूमि खसरा संख्या 692 व 693 के पूर्वी मेर पर होता हुआ खसरा संख्या 694 पर पहुचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सत्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध कर [illegible] है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता [illegible] इसीलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने [illegible] जाना आवश्यक है। जिसकी राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट व जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा ...ख्या 694 तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का ...कल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 685, 693, 530 व 529 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि सिवायचक भूमि की खसरा संख्या 685 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 44 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 88 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–05 बीघा, खसरा संख्या 693 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा में से रकबा 24 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 24 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा,खसरा संख्या 530 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 18 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 18 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा तथा खसरा संख्या 529 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 14 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 08 बिस्वा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट समीधी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 694 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए सिवाय चक भूमि खसरा संख्या 685 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 44 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 88 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–05 बीघा, खसरा संख्या 693 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा में से रकबा 24 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 24 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा,खसरा संख्या 530 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 18 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 18 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा तथा खसरा संख्या 529 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 14 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 14 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–01 बीघा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 08 बिस्वा है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner